


19.09.25

पत्रावली केश डुई की वकील प्रार्थी एवं वैशेकार राज उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की डुई जो शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रार्थी एवं वैशेकार राज को सुना गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का प्रतीक करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर स्थान किया गया। पत्रावली बाद तरीक तकमिल होकर शामिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर बुलेन्पापालप में सुनाया गया।


(सुनीलकुमार-चौहान)
RAS